संख्या:135/2026/571पू0वि0नि0/35-1-2026/35-1099/122/2026

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
(प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, बाराबंकी, सुलतानपुर, अम्बेडकरनगर, अमेठी, गोरखपुर, कुशीनगर, महराजगंज, देवरिया, वाराणसी, चन्दौली, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, मीरजापुर, संत रविदास नगर (भदोही), सोनभद्र, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा तथा हमीरपुर)

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक: 11 अगस्त, 2026

विषयः संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि राज्यांश के अन्तर्गत कार्ययोजना उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल /बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थित जनपदों में अन्तर क्षेत्रीय विषमताओं एवं पिछड़ेपन को कम करने तथा संतुलित विकास के उद्देश्य से संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/ बुन्देलखण्ड) निधि से सम्बन्धित मार्गदर्शी सिद्धान्त का प्रतिपादन शासनादेश संख्या- 1337/35-5-2002-8(74)/2000-170, दिनांक 19 सितम्बर, 2002 द्वारा किया गया है। उक्त योजना लोक निर्माण विभाग से नियोजन विभाग को स्थानान्तरित होने के फलस्वरूप मूल मार्गदर्शी सिद्धान्तों दिनांक 19 सितम्बर, 2002 के राज्यांश से सम्बन्धित कतिपय अंश में संशोधन करते हुए शासनादेश सं0- 11/2022/1115/717/35-1-2022 दिनांक 09 नवम्बर, 2022 द्वारा आदेश निर्गत किए गए हैं।

2. उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/ बुन्देलखण्ड) निधि के राज्यांश हेतु स्वीकृतियां निर्गत की जानी है। इस सम्बन्ध में उच्च स्तरीय विचार-विमर्श के क्रम में मत स्थिर हुआ है कि जनपदों से कार्ययोजना के रूप में समग्र प्रस्ताव प्राप्त कर लिये जायें। इस सम्बन्ध में मा0 विधायकगणों से उनकी प्राथमिकता निर्धारित कराते हुए जनपद द्वारा प्रस्ताव प्राप्त किये जाने हैं। योजनान्तर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्तों से सम्बंधित शासनादेश सं0 दिनांक 19 सितम्बर, 2002 एवं दिनांक 09 नवम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था के आलोक में परीक्षण करते हुए अनुमन्य पूंजीगत प्रकृति के कार्यों के ही प्रस्ताव कार्ययोजना में सम्मिलित किये जायें। योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों हेतु निर्विवाद रूप से पर्याप्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए। भूमि अध्याप्ति योजनान्तर्गत अनुमन्य नहीं है। कार्ययोजना तैयार किए जाते समय जनपद स्तर पर यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कुल प्रस्ताव में लगभग एक तिहाई (1/3 अंश) प्रस्ताव अनुसूचित जाति/ जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों से सम्बन्धित हों।

3. जिलाधिकारी द्वारा मार्गदर्शी सिद्धान्त से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 19 सितम्बर, 2002 के प्रस्तर-6.7 में निहित व्यवस्था का अनुपालन करते हुए राजकीय कार्यदायी संस्था से आगणन गठित कराए जायेंगे। कार्ययोजना/प्रस्ताव के साथ योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्त दिनांक 09 नवम्बर, 2022 के प्रस्तर-7.4 के बिन्दु सं0-1 से 6 के आलोक में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार कार्य से सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग से अपेक्षित 06 बिन्दुओं की सूचना (प्रत्येक कार्य हेतु पृथक-पृथक) सहित प्रस्ताव सन्दर्भित किया जायेगा। अपेक्षित 06 बिन्दुओं की सूचना पर कार्यदायी संस्था के साथ ही सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग (शासनादेश दिनांक 12 मार्च, 2025 की व्यवस्थानुसार) के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा सहमति के साथ हस्ताक्षरित होना आवश्यक है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/ बुन्देलखण्ड) निधि के राज्यांश के अन्तर्गत प्रस्ताव सहित जनपदीय कार्ययोजना 10 कार्यदिवस में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कार्ययोजना संलग्न प्रारूप पर UNICODE मंगल फांट में MS-word के साथ ही कार्यों के आगणन हार्ड कापी में तथा स्कैन्ड कापी पीडीएफ में (साइज अधिकतम 20 MB) PEN-DRIVE में नियोजन विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,
आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या:135/2026/571पू0वि0नि0(1)/35-1-2026/35-1099/122/2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
2. आयुक्त, प्रयागराज, वाराणसी, विन्ध्याचल, आजमगढ़, गोरखपुर, देवीपाटन, अयोध्या, बस्ती, झांसी एवं चित्रकूट धाम मण्डल।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, नियोजन विभाग।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
5. सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या।
6. सम्बन्धित जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अमित सिंह बंसल
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि राज्यांश के अन्तर्गत कार्ययोजना उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रारूप।

जनपद:_____

क्र.	मा0 विधायक का नाम	वि0स0 क्षेत्र	आगणन के अनुसार कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत (लाख रू. में)	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्य का अनुसूचित जाति/ जनजाति क्षेत्र से सम्बन्ध (हां / नहीं)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
			योग:				

नोट:- विशेष रूप से ध्यान रखें कि उक्त तालिका में कार्य का नाम आगणन के अनुसार ही अंकित किया जाय।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।